(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2162–दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30–04–2012 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील नईगढी जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 05/ए–12/2011–12/

बालमीक पटेल तनय श्री राम सलोने पटेल
निवासी ग्राम टटिहरा कला तहसील नईगढ़ी
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1– बृजेशनाथ तनय स्व0 श्री विबहारीलाल कनौजिया
निवासी मोहल्ला घोघर तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

2– मध्यप्रदेश शासन

——— अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एन0 पटेल, अभिभाषक, आवेदक
श्री महेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील नई गढी जिला–रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक बृजेशनाथ कनौजिया द्वारा ग्राम टटिहराकला तहसील नईगढी स्थित अपने भूमि न0 288 रकवा 0.077 है0 के सीमांकन हेतु तहसीलदार तहसील नईगढी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक नईगढी को आदेशित किया । राजस्व निरीक्षक नईगढी द्वारा भूमि न0 288 का सीमांकन किया ।

आवादी निस्तार की भूमि न0 289/1 रकवा 0.30 एकड़ के पश्चिमी अंश भाग को भूमि न0 288 में नाप दिया गया तथा सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनाम, फील्डबुक एवं सूचना पत्र तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में आवेदक को जानकारी होने पर उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जो उनके द्वारा निरस्त कर दी गई जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आलजोच्य आदेश विधि प्रावधानों न्यायाप्रकिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के प्रतिकूल होने से न्यायहित में निरस्त किया जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सीमांकन के पूर्व सीमावर्ती कृषकों एवं गांव के समभ्रान्त लोगों को सूचना देकर सभी के उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाना चाहिये । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना का यह आधार लिया गया है कि सूचना पत्र पर आपत्तिकर्ता बालमीक का नाम लिखा है और उसके स्थान पर रामजी पटेल का हस्ताक्षर बना है। आपत्तिकर्ता बालमीक पटेल के बजाय दीगर व्यक्ति रामजी पटेल का हस्ताक्षर बना है जिससे यः स्पष्ट होता हे कि आपत्तिकर्ता एवं अन्य सीमावर्ती कृषकों व गांव के सम्भ्रान्त लोगों को सूचना तामील नहीं की गई, जो इस बात का प्रमाण हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बृजेशनाथ कनोंजिया के दबाव प्रभाव में झूठे व बनावटी तथ्यों के आधार पर मनमानी तरीके से सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक व सूचना पत्र तैयार कर प्रकरण में प्रस्तुत कियार गया है और पंचनामा पर बाहरी लोगों का हस्ताक्षर कराकर औपचारिकाता की पूर्ति की गई हे साथ ही फील्ड अन्य भूमियों को बनाकर प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.4.12 निरस्त किया जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के पूर्व सभी सीमावर्ती कृषकों को सूचना दी गई थी एवं बालमीक पटेल को भी सूचित किया गया था लेकिन उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति का

निराकरण किया जा चुका है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के परिशीलन से विदित होता है कि प्रकरण में आवेदक बालमीक को सूचना नहीं हुई है और उनकी अनुपस्थित में ही सीमांकन किया गया है क्यों कि बालमीक के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है किसी अन्य व्यक्ति रामजी पटेल के हस्ताक्षर हैं । आवेदक अधिवक्ता के तर्क में इस बात का बल मिलता है कि सीमांकन के समय सीमावर्ती कृषकों को सूचना होना अनिवार्य है, उनके द्वारा **राजस्व निर्णण 2015 पेज 497 अनवर खां विरूद्व मातृ भूमि डेवलपर्स इन्दौर** का साइटेशन प्रस्तुत किया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि सीमांकन नियमों के तहत सीमांकन किये जाने वाली भूमि से लगी हुई भूमियों के भूमिस्वामियों को सीमांकन की सूचना दिया जाना आवश्यक है और उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया जाना चाहिये। आवेदक अनावेदक की भूमि का सीमावर्ती कृषक है, किन्तु सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप तहसीलदार तहसील नईगढी का प्रकरण कमांक 5/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.4.12 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार तहसील नईगढी को प्रत्यावितंत कर निर्देश दिये जाते है कि सीमावर्ती कृषकों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर